विकय बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनाम:- (Borrower) 5366867/post/22

* B M 5 6 9 1 3 4 1 1 6 J N *

MANPREET SINGH C/O ATMA SINGH

W NO 41 Bijli Coloni Hanumangarh HANUMANGARH HANUMANGARH 592 NEAR BIJLI COLONY Sriganganagar Sriganganagar Rajasthan 335512

Borrower:- MANPREET SINGH C/O ATMA SINGH W NO 41 Bijli Coloni Hanumangarh HANUMANGARH HANUMANGARH 592 NEAR BIJLI COLONY Sriganganagar Sriganganagar Rajasthan 335512

Co-Borrower-1: NIL Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: RANVEER GIRI C/O RAJ GIRI

W NO 01 SANGARIA ROAD SATIPURA HANUMANGARH HANUMANGARH 592 NEAR HANUMAN MANDIR Sriganganagar

Sriganganagar Rajasthan 335512

GTR - 2: NIL

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:---

- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5366867 दिनांक 21-Feb-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 120000 / रूपये की ऋण राशि अपने वाहन MARUTI ALTO LX जिसका पंजीकरण संख्या RJ10CA2836 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 4600/- रूपये की 52 नियमित मासिक /स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- उ. यह कि आपके अनुरोध पर ,माननीय आर.बी.आई के निर्दोशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपको 5 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 8392 / रूपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 128392 / रूपये हो गयी है।
- 4. यह कि आपके आवेदन पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा आपके उक्त अनुबन्ध संख्या 5366867 पर पुनर्गटन कि सुविधा भी दिनाकं 03-Jul-21 को दी गयी थी एवं आपकी वितिय सुविधा पनर्गटन के उपरान्त 151392 हो गयी है।
- 5. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 6. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तो की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नही हो जाती वाहन अपने आधिपत्य मे रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 7. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 18-Dec-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MARUTI ALTO LX रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ10CA2836 इंजन नम्बर F8DN4781149 एवं चेसिस नम्बर MA3EAA61S02007749 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 11-Jan-23 को 75000/- रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

विकय बाद सूचना पत्र



बनाम:-- (GTR) 5366867/post/22

Date: 14-Feb-23

2



RANVEER GIRI C/O RAJ GIRI

W NO 01 SANGARIA ROAD SATIPURA HANUMANGARH HANUMANGARH 592 NEAR HANUMAN MANDIR Sriganganagar Sriganganagar Rajasthan 335512

Borrower:- MANPREET SINGH C/O ATMA SINGH W NO 41 Bijli Coloni Hanumangarh HANUMANGARH HANUMANGARH 592 NEAR BIJLI COLONY Sriganganagar Sriganganagar Rajasthan 335512

Co-Borrower-1: NIL Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: RANVEER GIRI C/O RAJ GIRI

W NO 01 SANGARIA ROAD SATIPURA HANUMANGARH HANUMANGARH 592 NEAR HANUMAN MANDIR Sriganganagar

Sriganganagar Rajasthan 335512

GTR - 2: NIL

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेपित किया जाता है:---

- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5366867 दिनांक 21-Feb-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 120000/- रूपये की ऋण राशि अपने वाहन MARUTI ALTO LX जिसका पंजीकरण संख्या RJ10CA2836 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 4600/- रूपये की 52 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी।
- उ. यह कि आपके अनुरोध पर ,माननीय आर.बी.आई के निर्दोशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपको 5 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 8392 / रूपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 128392 / रूपये हो गयी है ।
- 4. यह कि आपके आवेदन पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा आपके उक्त अनुबन्ध संख्या 5366867 पर पुनर्गठन कि सुविधा भी दिनाकं 03-Jul-21 को दी गयी थी एवं आपकी वितिय सुविधा पुनर्गठन के उपरान्त 151392 हो गयी है।
- 5. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 6. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तो की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नही हो जाती वाहन अपने आधिपत्य मे रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 7. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 18-Dec-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MARUTI ALTO LX रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ10CA2836 इंजन नम्बर F8DN4781149 एवं चेसिस नम्बर MA3EAA61S02007749 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 11-Jan-23 को 75000/- रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)